

पत्रांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/वि.स.(याचिका)-32/2021 सो०-.....1896

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा

अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

बिहार

दिनांक:- 29/10/2021

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए फोटो अभिप्रमाणन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय संसूचित है। सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना संख्या-7438, दिनांक-23.07.2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन की सेवा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसकी सेवा प्रदान करने हेतु 21 कार्य दिवस की समय-सीमा नियत की गयी है।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र की सेवा ऑनलाईन एवं लोक सेवा काउंटर से NIC के servicePlus platform के माध्यम से प्रदान किए जाने का निदेश बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक-1003, दिनांक-06.06.2019 द्वारा परिचारित है। सम्यक विचारोपरांत विषयगत प्रमाण पत्र की सेवा प्राप्त करने के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पूर्व निर्गत पत्रांक-1003, दिनांक-06.06.2019 की कंडिका-4(ii) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है -

“आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के दायीं ओर शीर्ष पर अपना स्व-अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न किया जाएगा। आवेदन पत्र की जांच एवं प्रमाण पत्र निर्गमन से जुड़े कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा आवेदक के फोटो की भी भली-भांति जांच कर इसका अभिप्रमाणन किया जाएगा और नियमानुसार आवेदक का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। फोटो अभिप्रमाणित कराने हेतु आवेदकों को प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी।”

3. अनुरोध है कि इससे सभी संबंधित को अवगत कराते हुए तदनु रूप आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ. प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/वि.स.(याचिका)-32/2021 सो०-.....1896 दिनांक- 29/10/2021

प्रतिलिपि:-अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मिशन निदेशक

35